राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 236/2016/जयपुर

मैसर्स वायर एण्ड फैब्रिक्स एस.ए. लि., जयपुर .....अपीलार्थी

बनाम

सहायक आयुक्त,
विशेष वृत षष्टम्, वाणिज्यिक कर जयपुर। .....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री टी.सी.जैन, अभिभाषक। .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री एन.के.बैद
उप राजकीय अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 23/01/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी तृतीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 331/14–15 में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 04.12.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक आयुक्त, विशेष वृत षष्टम, जयपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 23/24 सपठित धारा 9 केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 03.11.2014 के जरिये सृजित मांग राशि 27,08,726/– रूपये के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रतिप्रेषण आदेश दिनांक 04.02.2015 को अधिनियम की धारा 83 के तहत विवादित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वर्ष 2012–13 में केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत की गई बिक्री राशि 44,39,78,836/– रूपये की बिक्री पर कर राशि 92,97,426/– रूपये कर व 32,10,870/– रूपये की ब्याज राशि "सी" प्रपत्र के अभाव में आरोपित की गई। परन्तु उक्त राशि में से केवल 32,10,870/– रूपये की राशि को अपीलीय अधिकारी के समक्ष विवादित किया गया। अपीलीय अधिकारी ने केन्द्रीय बिक्री कर (पंजीकरण एवं पण्यावर्त) नियम 1957 के नियम 12(7) के तहत "सी" प्रपत्र प्रस्तुत करने की सीमा में वृद्धि करने से इन्कार करते हुए प्रकरण को कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देश दिये कि अपील निर्णय की तिथि तक प्रस्तुत "सी" फार्म को आवश्यक सत्यापन करने के पश्चात स्वीकार करें एवं इसके पश्चात कोई समय सीमा में वृद्धि नहीं की जा सकती है। उक्त प्रतिप्रेषण आदेश दिनांक 04.12.2015 से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी ने राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष उक्त अपील प्रस्तुत की है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण आदेश में बकाया घोषणा पत्रों को प्रस्तुत करने का दिनांक 28.02.2015 तक का समय दिया गया था परन्तु "सी" प्रपत्र चूंकि राज्य के बाहर के क्रेता फर्मों द्वारा दिये वांछित होते है द्वारा उनकी फर्म को उपलब्ध नहीं करवाये गये इसके लिये अपीलार्थी

लगातार.....2

अत्यन्त दबाव बनाए हुए है कि वांछित घोषणा पत्र "सी" प्रपत्र शीघ्र ही कर निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध करवाये जा सके। अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने केवल अपील आदेश तक प्रस्तुत घोषण पत्रों को सत्यापन के पश्चात स्वीकार करने का निर्देश देते हुए प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया है। जबकि अपीलीय आदेश के पश्चात भी उनके पास घोषणा पत्र "सी" प्रपत्र ओर प्राप्त हो चुके है। ऐसे "सी" प्रपत्रों की छायाप्रतियां वक्त बहस इस स्तर पर प्रस्तुत की गई है। अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान अभिभाषक ने निम्न उद्धरण प्रस्तुत किये :–

1. मैसर्स लक्ष्मी केमिकल्स गोटन बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत नागौर, अपील संख्या 1527/2013 निर्णय दिनांक 01.01.2014 (आरटीबी)
2. मैसर्स बूंगे इण्डिया लि0 बून्दी बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, बून्दी अपील संख्या 1343/09 निर्णय दिनांक 15.05.2015
3. 142 एसटीसी पेज 1 हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम गुजरात अम्बूजा सीमेंट लि. व अन्य
4. आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 23.01.2015 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि व्यवहारी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले घोषणा पत्रों को स्वीकार करने बाबत प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने बाबत अनुरोध किया।

5. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र प्रपत्र "सी" सत्यापन के पश्चात स्वीकार किये गये है और यहां तक कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा दी गई समयसीमा तक प्रस्तुत घोषणा पत्र भी सत्यापन के पश्चात स्वीकार किये जाने के निर्देश अपीलीय अधिकारी ने दिये है। का पालन कर निर्धारण अधिकारी करेंगे ही परन्तु अपील निर्णय के पश्चात प्रस्तुत घोषणा पत्रों को स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं है न ही केन्द्रीय विक्रय कर नियम 12(7) के तहत ऐसी सीमा बढाने के प्रावधान उपलब्ध है। अतः प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया गया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं रिकार्ड तथा प्रस्तुत उद्धरणों का अवलोकन किया गया।

7. उद्धरित निर्णयों, परिपत्रों का अध्ययन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्रों की प्रस्तुती में हुयी देरी के कारण उक्त अपील को अस्वीकार कर, आदेश पारित किये गये है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी व्यवहारी को अन्य व्यवहारियों से घोषणा प्रारूप "सी" प्राप्त करने में समय लगा है इसलिये घोषणा प्रारूप "सी" की प्रस्तुति के संबंध में अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा दिये कारणो के आलोक में, देरी सद्भाविक एवं युक्तियुक्त है। माननीय न्यायालयो का भी निरंतर यह मत रहा है कि घोषणा प्रारूप किसी भी स्तर पर प्रस्तुत किये जा सकते है। आयुक्त वाणिज्यिक कर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक सीसीटी परि. एफ.16(97)टैक्स/सीसीटी/14–15/5467 दिनांक 23.01.2015 अवलोकनीय है जिसमें अवर अधिकारियों को माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश व अन्य बनाम गुजरात अम्बूजा सीमेन्ट लि. व अन्य 142 एसटीसी 1 के आलोक में, घोषणा प्रारूप की प्रस्तुति के संबंध में इस प्रकार निर्देशित किया गया है कि :–

लगातार.....3

"The declaration forms/certificates are proof for concessional rate of tax, and are required to assess the dealer at the applicable rate of tax at the time of assessment. In view of the above mentioned Hob'ble Supreme Court Judgement, it is directed that if a dealer submits declaration forms/certificates, even after the stipulated period along with an application mentioning the cause for delay, the Assessing Authority shoud accept it after ascertaining that the dealer was prevented by a suffficient cause for not furnishing the declaration forms/certificates in time."

8. माननीय राजस्थान कर बोर्ड के विभिन्न पीठो ने भी इस संबंध में निर्णय समय–समय पर दिये है जिनमें पश्चातवर्ती घोषणा पत्रों को बाद सत्यापन स्वीकार करने के संबंध में प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये गये है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मैसर्स गुजरात अम्बूजा सीमेन्ट लि0 के प्रकरण में (उपरोक्त) में दी गई व्यवस्था एवं प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में इस बैंच द्वारा पारित निर्णय की तिथि तक प्रस्तुत घोषणा पत्र को कर निर्धारण अधिकारी बाद सत्यापन स्वीकार करने के हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है। विद्वान अपीलीय अधिकारी का निर्णय इस हद तक संशोधित किया जाता है।

9. फलतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं उपरोक्त विवेचनानुसार प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

23.1.2017

(मदन लाल)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष